भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 244*

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

आयातित कोयला

***244. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विद्युत उत्पादकों और अन्य उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी–निजी भागीदारी पर आधारित कोई नीतिगत ढांचा बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने एवं कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) कोयले की घरेलू मांग को पूरा करने हेतु वर्ष 2019–20 के दौरान अब तक आयातित कोयले का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2020–21 के दौरान कितने कोयले का आयात किए जाने की संभावना है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"आयातित कोयला" के संबंध में श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा दिनांक 11.03.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 244* के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार कोयले को खुला सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है तथा उपभोक्ता, लागू शुल्क के भुगतान पर अपने संविदागत मूल्यों के अनुसार अपनी इच्छा के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोकिंग कोयला के सीमित घरेलू उत्पादन को देखते हुए, इस्पात क्षेत्र द्वारा प्रयोग हेतु कोकिंग कोयले का आयात होता रहेगा। इसके अतिरिक्त, आयातित कोयले के आधार पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों द्वारा आयातित कोयला एवं ब्लैंडिंग प्रयोजन हेतु आवश्यक उच्च ग्रेड के कोयले का भी देश में आयात किया जाएगा क्योंकि इसे घरेलू कोयले से पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। कोयले की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि से कोयले के आयात में जो वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य 22.86% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर थी वह वर्ष 2014-15 से 2018-19 के मध्य घटकर 1.96% हो गई है।

(ख) से (घ) : कोयला उत्पादन में वृद्धि करने तथा निजी क्षेत्र में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. कोयला खानों के आबंटितियों को विशिष्ट अंत्य उपयोग अथवा स्वयं खपत के लिए वास्तविक उत्पादन का 25% तक ऐसी बिक्री पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के साथ खुले बाजार (आरओएम आधार पर) में बेचने की अनुमति देने की पद्धति अनुमोदित की जा चुकी है और इस पद्धति के अंतर्गत वर्ष 2019 में 10 खानें आवंटित की गई हैं।

2. खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 से संयुक्त पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा (पीएल-सह-एमएल) के लिए कोयला ब्लॉकों का आवंटन सुलभ हुआ है जिससे आवंटन हेतु कोयले/लिग्नाइट ब्लॉकों की इनवेंट्री में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

3. खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रख्यापन द्वारा दोहरावपूर्ण और अनावश्यक प्रावधान, जिसमें केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, उन मामलों में भी जहां कोयला/लिग्नाइट का आवंटन या आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा स्वयं किया गया है, को समाप्त कर दिया गया है। इसमें कोयला/लिग्नाइट खानों के संचालन में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी।

4. पहले, कोयला खान विशेष उपबंध (सीएमएसपी) अधिनियम की अनुसूची II और अनुसूची III खानें केवल उन कंपनियों को नीलाम की जा सकती थीं जो विशिष्ट अंत्य उपयोग कर रही थीं। खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रख्यापन से केंद्र सरकार को सीएमएसपी अधिनियम के तहत अनुसूची II और अनुसूची III कोयला खानों के अंत्य उपयोग का निर्णय करने में छूट मिली है। इससे स्वयं की खपत,

बिक्री या किसी अन्य प्रयोजनार्थ, जैसा भी केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, जैसे विभिन्न प्रयोजनार्थ अनुसूची II और अनुसूची III कोयला खानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी होगी।

5. सरकार ने कोयला खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है तथा कोयले की बिक्री हेतु ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति, सीएम(एसपी) अधिनियम एवं एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों तथा उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर संशोधित एवं अन्य संगत अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन संबद्ध प्रोसेसिंग अवंसरचना सहित कोयला खनन कार्यकलापों की सूचना देते हुए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18/09/2019 को एक प्रैस नोट जारी किया गया है।

(ङ.) : अप्रैल, 2019 - जनवरी, 2020 के दौरान देश में 207 मि.ट. कोयले का आयात किया गया था। चूंकि कोयले को खुला सामान्य लाईसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है तथा उपभोक्ता कोयले के आयात के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए वर्ष 2020-21 के लिए कोयले के आयात का अनुमान लगाना संभव नहीं।

*****